समानता का अधिकार **(Right to Equality)**

यह भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद इसे अनु0 14 से 18 तक दिया गया है, जिसमें 5 स्वतंत्रताएं सम्मिलित हैं। प्रो0 श्रीनिवास '' इस अधिकार का उद्देष्य नागरिकों को राज्य द्वारा प्रषासनिक एवं वैधानिक क्षेत्र में किये जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना तथा सामाजिक असमानता की बुराईको कम करना है।'' अनच्छेद 14 के अनुसार ''भारत राज्य क्षेत्र मे ंराज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ''इसके दो स्वरूप हैं, कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण।

सामाजिक समता :– अनु0 15 के अनुसार ''राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म मूल वंष, जाति, लिंग जन्म–स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा।'' कानून द्वारा यह निष्चित किया गया कि किसी भी नागरिक के साथ होटल, दुकान, सार्वजनिक या मनोरंजन के स्थान पर प्रवेष से नहीं रोकेगा। दूसरे, राज्य निधि से पूर्णतः या आंषिक रूप से पोषित एवं जनसाधारण को समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान गृहों, सड़कों इत्यादि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नही किया जायेगा।

सेवा में अवसर प्राप्ति करने में समानता

- अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक सेवाओं में सभी व्यक्तियों को अवसर प्राप्त करने का समान अवसर है। राज्य अपने अधीन पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में समान अवसर उपलब्ध करायेगा तथा धर्म, जाति, वंष लिंग इत्यादि के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहरायेगा।
- अपवाद–1, राज्य किसी विषेष रोजगार के लिए निवास सम्बन्धी शर्त लगा सकती है। जैसा कि आंध्र प्रदेष एवं तेलंगाना में है।
- 2 राज्य पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों को आरक्षित कर सकता है। पिछड़े वर्ग अनु0 16(4) के द्वारा सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया।

अस्पृष्यता की समाप्ति

- अनु0 17 के अनुसार ''अस्पृष्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निसिद्ध किया जाता है। अस्पृष्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा। जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।'' इसे लागू करने की ष्षक्ति संसद को अनु0 35 द्वारा दिया गया। 1955 में अस्पृष्यता अपराध अधिनियम–1955 लागू किया गया जो अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के नाम से जाना जाता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संषोधन अधिनियम, 2015 इसे 26 जनवरी 2016 से लागू किया गया है।
- पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संध के मामले यह अधिकार प्राइवेट व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरूद्ध भी दिया।

उपाधियों का अन्त

- यह ब्रिटिष शासन के सामन्तवाद का समापन करता है। अनु0 18 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को चाहे वह नागरिक हो अथवा विदेषी उसे उपाधि देने से मना करता है।
- प्रथम, अनु0 18(1) राज्य सेना या षिक्षा सम्बन्धी उपाधि के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि नहीं देगा।
- द्वितीय, 18(2) के भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेषी राज्य से उपाधि नही स्वीकार करेगा।
- अनु0 18(3) कोई विदेषी व्यक्ति राज्य के अधीन किसी विष्वसनीय पद पर आसीनहै, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के कोई उपहार, उपाधि, वृत्ति अथवा पद स्वीकार नही ंकर सकताहै।
- यद्यपि 1977 में इन्हें समाप्त कर दिया गया किन्तु 1980 में इन्हें पुनः लागू कर दिया गया।